दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 1368 /14–1 दिनांक, मेरठ 26 , सितम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– दिल्ली–कानपुर मार्ग (एन0एच0–91) के कि0मी0 60 (चेनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा सं0 165 में हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारर्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति।
ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Other/30840/2017.

संदर्भः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 946/14–1, दिनांक 15.09.2022।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक 1368 /14–1 दिनांकित।

1–प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय–समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

3 Files Received
Arjun Singh
7409462422

E/Land transfer

Scanned with CamScanner

भाग—III

दिल्ली—कानपुर मार्ग (एन0एच0—91) के कि0मी0 60 (चेनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा सं0 165 में हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारर्पोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति। ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Other/30840/2017.

14.	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कराणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि : 26-09-2022

हस्ताक्षर

स्थान : मेरठ

नाम और पदनाम— (गंगा प्रसाद)

सरकारी मोहर— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

E/Recommandaton

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिल्ली–कानपुर कि0मी0 60 (चैनेज59.180) की दायी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर में पूर्व से स्थापित रिटेल आउटलेट के प्रेषित प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

हस्ताक्षर

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)

हस्ताक्षर

प्रयोक्ता एजेंसी के नामित प्रतिनिधि
(नाम,मोहर एवं तिथि सहित)

आदित्य विक्रम सिंह
मुख्य क्षेत्रीय प्रवन्धक
आगरा क्षेत्रीय कार्यालय
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
85/4, इस्पात भवन, तृतिय तल, संजय प्लेस
आगरा–282002

Scanned with CamScanner

दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 3675 /14–1 दिनांक, मेरठ 14 ,मार्च, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद–बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग (एन0एच0–91) के कि0मी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या–165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/30840/2017.

संदर्भः– 1–आपका का पत्रांक 1357/11–सी, दिनांक 14.10.2022।
2–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 3215/14–1, दिनांक 10.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त आपत्तियों को निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की है जिसकी आख्या संलग्नकों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1– प्रभावित क्षेत्रफल के अनुसार 338 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्राक्कलन बनाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा ऑनलाईन भाग–2 में धनराशि फीड कर अपलोड कर दी गयी है।

2– प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जा रहे भूमि की खतौनी संलग्न है।

3– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्तमान अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पत्र संलग्न है।

4– गजट नोटिफिकेशन की स्पष्ट छाया प्रति प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर संलग्न है।

5– प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध एच–2 केस प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है तथा एच–2 केस कम्पाउन्ड किया गया संलग्न है।

6– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गयी जुर्माना धनराशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

7– दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में करके संलग्न है।

8– प्रस्ताव के साथ पैनड्राईव में अनावश्यक अभिलेख डिलीट कर दिये गये है।

9– पैनड्राईव में प्रमाण पत्र/वनचबद्धता प्रमाण पत्र/विषय सूची सहित फोल्डर में पी0डी0एफ0 में अपलोड कर संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 3675 / दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

Scanned with CamScanner